General Manager(P)/East Central Railway, Hajipur

Engagement of Homeopathic Consultant (Indigenous System of Medicine) for Homeopathic Dispensary situated at Poly Clinic, Hajipur & Central Hospital, Patna of East Central Railway under the aegis of Central Staff Benefit Fund.

Notification No. ECR/HRD/SBF/Homeopathic Consultant/Engagement Dt. 10.02.18

Opening Date : 10.02.2018 Closing Date : 12.03.2018

****

Application for engagement of one Homeopathic Consultant (Indigenous System of Medicine) for Homeopathic Dispensary situated at Poly Clinic, Hajipur and Central Hospital, Patna of E.C. Railway in the following prescribed proforma, are hereby invited from qualified Homeopathic Doctors who possess a Bachelor Degree or a Diploma in respective discipline of medicine. However, completion of Internship is essential for Bachelor Degree holder and minimum 1-1/2 years work experience is essential for Diploma holder. The cut-off date for reckoning minimum/maximum age, educational/professional qualification, Internship and work experience is 10.02.2018.

The application in the prescribed format as per specimen given along with enclosures should reach by ordinary post addressed to Chairman, Central Staff Benefit Fund. General Managers Offices, East Central Railway, Hajipur, Personnel Department (Welfare Section) P.O. Hajipur, Distt.- Vaishali, Pin Code - 844101 (Bihar) or drop in the box available in Welfare Section of Personnel Department of GM's Office, E.C. Railway, Hajipur. ***The last date for submission of application along with all requisite enclosures is 12.03.2018 up to 18.00 hrs.*** No acknowledgement of the application will be given. Applications from other sources will not be accepted.

Neither application will be accepted after the closing date in any circumstance, nor will enclosure be received separately after the receipt of application for attachment with application.

Terms and conditions for engagement of Homeopathic Consultant under Indigenous System of Medicine are as under:-

1. The engagement of Homeopathic Consultants (Indigenous System of Medicine) will not be born in any cadre of Railway Service rather, it will be a part time job which is financed under a scheme of Staff Benefit Fund not by the Railway.
2. The engagement of Homeopathic Consultants (Indigenous System of Medicine) shall not give any right for Railway Service and they are not given such privilege/facilities which Railway Doctors, Officer and Employees only are entitle as per rule.
3. The engagement of the Homeopathic Consultant should be for a term not exceeding 01 (One) year at a time, subject to review at the end of the term based on the output, utilisation of facility, etc. by the Chairman of the Central Staff Benefit Fund otherwise cancelled. However, the said engagement will also be cancelled any time within the tenure, when any irregularity has been found.
4. The minimum age for engagement of Homeopathic Consultant is 21 years and the maximum age is 65 years but the age of the candidates should not be more than 62 years at the time of application. At the time of After 65 year their engagement will be cancelled automatically.

08/02/18

5. Completion of Internship is essential for Bachelor Degree holder.
6. Minimum 1-1/2 year work experience is essential for Diploma holder.
7. The working hours for these Homeopathic Consultant will be 04 hours. Daily for 05 days in a week.
8. As per rate prescribed by the Railway Board (RBE No. 65/2017 dated 07.07.17), honorarium paid to these Homeopathic Consultant is Rs. 22,500/- (Rupees Twenty two Thousand Five Hundred only) per month.
9. The Homeopathic Consultant would be responsible for proper maintenance of records for patients treated and Homeopathic medicine issued free of cost to staff (to be supplied by Staff Benefit Fund) and submit the accountal for the same to the Chairman, Central Staff Benefit Fund as and when required.
10. In view of non-availability of fund, the Chairman of the Central Staff Benefit Fund has right to cancel the said notification for engagement of Homeopathic Consultant.

Important instructions:

The mode of selection, date, venue and time will be intimated to the eligible candidates by post and will be posted subsequently on the website. Candidates are advised to keep track on our website.

The decision of railway administration in connection with formation of panel will be final. For non-empanelment of the candidate, no correspondence will be entertained. The railway administration will not be responsible for any postal delay or wrong delivery. Canvassing in any form will disqualify the candidate. The application which suffer from material irregularities such as unsigned, signed in capital letter, without photograph, without requisite and self-attested enclosures furnished in item no. 3, 8, 9, 10 of application form shall be summarily rejected.

For any legal action arising out of the above, jurisdiction shall be High Court, Patna.

The above notification is also available on our website which is given below :
www.ecr.indianrailways.gov.in – Hajipur HQ – Personnel – Recruitment/ Selection notification.

08/02/18
(Gopal Mandal)
Sr. Personnel Officer/IR&W
for Chairman, Central Staff Benefit Fund
East Central Railway, Hajipur.

FORMAT OF APPLICATION

To,

Chairman, Central Staff Benefit Fund
-Cum- Principle Chief Personnel Officer
East Central Railway, Hajipur.

Notification No. ECR/HRD/SBF/Homeopathic Consultant/Engagement Dt. 10.02.18

PHOTO

1. Name of Applicant...................................
2. Name of Father/Husband...........................
3. Date of Birth of the applicant......................
4. Age as on 10.02.2018.......Years.......Month.....Days
5. Sex-
6. Nationality-
7. Religion/Community-
8. Educational/Professional Qualification (enclosed certificates)-

S.No.	Name of Examination	Year of Passing	Board/ University	Marks Obtained	Division/ Class	Subject taken

9. Internship/work experience (enclose certificates)-
10. Registration No. & Date of Medical Practitioner (enclose certificates) –
11. Permanent Address –
12. Address for Correspondence –
13. Other Information, if any –
14. Enclosures –

I, ... Hereby, declare that the information given by me as above is correct and true in best of my knowledge. If any information given by me fund incorrect or false, my candidature should be rejected or my service should be ceased any time without notice.

Signature of applicants – (In Hindi).....................................
(In English)..................................

Place :-
Date :-

Note :- Self attested copies of certificates in support of item no. 3, 8, 9 & 10 of application form must be enclosed. Recent photograph must be pasted and application must be signed (In at least one language). Else, the application shall be rejected.

08/04/18

महाप्रबंधक (कार्मिक)/पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

"Indigenous System of Medicine" के तहत केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि द्वारा संचालित पूर्व मध्य रेल, स्थित पॉली क्लिनिक, हाजीपुर एवं केन्द्रीय चिकित्सालय, पटना में होमियोपैथिक परामर्शदाता का विनियोजन

अधिसूचना सं0 ईसीआर/एचआरडी/एसबीएफ/होमियोपैथिक कंसल्टेंट/इंगेजमेंट दिनांक 10.02.18

प्रकाशन की तिथि : 10.02.2018 **अंतिम तिथि : 12.03.2018**

*****

उन प्रशिक्षित होमियोपैथिक चिकित्सकों से निर्धारित संलग्न प्रपत्र में "Indigenous System of Medicine" के तहत केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि द्वारा संचालित पूर्व मध्य रेल, स्थित पॉली क्लिनिक, हाजीपुर एवं केन्द्रीय चिकित्सालय, पटना में होमियोपैथिक परामर्शदाता के विनियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है, जिन्होने संबंधित चिकित्सा (होमियोपैथिक) में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त की हो। डिग्री प्राप्त आवेदकों ने इनटर्नशिप पूरी कर ली हो तथा डिप्लोमा प्राप्त आवेदकों को कम से कम डेढ़ वर्ष के कार्य का अनुभव प्राप्त हो। निम्नतम/अधिकतम आयु एवं शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता, इंटर्नशिप तथा कार्य के अनुभव की गणना (Cut of date) 10.02.2018 से की जाएगी।

अनुलग्नक सहित दिए गए नमूने के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र अध्यक्ष, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि, महाप्रबंधक कार्यालय, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर, कार्मिक विभाग (कल्याण अनुभाग), पो0– हाजीपुर, जिला– वैशाली पिन– 844101 (बिहार) के पते पर पहुँच जाना चाहिए। आवेदक अपना आवेदन साधारण डाक से अथवा महाप्रबंधक कार्यालय, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर, कार्मिक विभाग के कल्याण अनुभाग में रखे हुए बॉक्स में डाल सकते है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12.03.2018 शाम 18.00 बजे है। आवेदन पत्र की पावती नही दी जाएगी। अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।

किसी भी कारण से अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा एवं प्राप्त आवेदन में अलग से कोई भी कागजात संलग्न ही किया जाएगा।

"Indigenous Sysem of Medicine" के तहत होमियोपैथिक परामर्शदाता के विनियोजन हेतु नियम एवं शर्ते निम्नानुसार है :–

1. "Indigenous System of Medicine" के तहत होमियोपैथिक परामर्शदाताओं के विनियोजन केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि द्वारा की जाएगी न की रेलवे के द्वारा।
2. उक्त "Indigenous System of Medicine" होमियोपैथिक परामर्शदाता के विनियोजन उन्हें रेलवे मे किसी प्रकार की नियुक्ति के दावा का अधिकार नही देता है तथा उन्हें रेलवे चिकित्सकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी जाने वाली कोई भी सुविधा अनुमेय नही होगा।
3. यह विनियोजन, विनियोजन तिथि 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए होगी। उक्त "Indigenous System of Medicine" होमियोपैथिक परामर्शदाता के कार्य निष्पादन की समीक्षा अवधि पूर्ण होने के पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि द्वारा किया जाएगा जिसके पश्चात् उनकी सेवा अगले एक वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है अथवा निरस्त की जा सकती है। तथापि, एक वर्ष की अवधि के अंदर ही किसी भी समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उनकी सेवा निरस्त कर दी जाएगी।

08/02/18

4. होमियोपैथिक परामर्शदाता के सेवा की न्युनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी जिसके पश्चात् उनकी सेवा स्वतः निरस्त मानी जाएगी, परंतु आवेदन तिथि को आवेदक की आयु 62 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
5. डिग्री प्राप्त आवेदकों ने Internship पूरी कर ली हो।
6. डिप्लोमा प्राप्त आवेदकों को कम से कम डेढ़ वर्षो के कार्य का अनुभव प्राप्त हो।
7. उक्त "Indigenous System of Medicine" के तहत होमियोपैथिक परामर्शदाता के कार्य की अवधि सप्ताह के पॉच कार्य दिवसों को प्रतिदिन 04 घंटे को होगा।
8. रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित दर (आरबीई सं0 65/2017 दिनांक 07.07.2017 के अनुसार) के अनुसार होमियोपैथिक परामर्शदाता को मानदेय का भुगतान केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि के द्वारा प्रतिमाह रू0 22,500/– (बाइस हजार पॉच सौ रू0 मात्र) की दर से किया जाएगा।
9. होमियोपैथिक दवाएँ जो रोगी कर्मचारियों को मुफ्त में दी जाती है, उसकी आपूर्ति कर्मचारी कल्याण निधि द्वारा की जाएगी। दवाओं एवं रोगियों से संबंधित अभिलेख के रखरखाव के लिए परामर्शदाता जिम्मेवार होगा तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि को इसे प्रति वर्ष या जब कभी जरूरत पड़ने पर प्रस्तुत करेगा।
10. उक्त विनियोजन हेतु जारी अधिसूचना को पद एवं निधि की अनुपलब्धता के अभाव में निरस्त करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि स्वतंत्र होंगें।

महत्वपूर्ण अनुदेश :

योग्य आवेदकों को चयन की पद्धति, तिथि, स्थान और समय संबंधी सूचना डाक द्वारा दी जाएगी तथा पूर्व मध्य रेल के अधिकृत बेवसाइट पर भी डाला जाएगा। आवेदकों को पूर्व मध्य रेल के बेवसाइट को देखते रहने की सलाह दी जाती है।

पैनल का निर्माण के संबंध में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा। पैनल में नही आने वाले आवेदकों से कोई पत्राचार स्वीकार नही किया जाएगा। डाक विलंब अथवा गलत सुपूर्दगी के लिए रेल प्रशासन जिम्मेवार नही होगा। किसी भी रूप में अपने पक्ष में सिफारिश कराने वाले आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में किसी प्रकार की अनियमितता जैसे– अहस्ताक्षरित, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में हस्ताक्षर, फोटो का नही होना, सभी वांछित अनुलग्नकों का नही होना, प्रमाण पत्रों की प्रतियों का स्व–अभिप्रमाणित नही होना, जिसका जिक आवेदन के क्रम सं0 3, 8, 9 और 10 में है, उसे रद्द माना जाएगा।

इनसे संबंधी किसी भी तरह की कानूनी प्रकिया के लिए क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय, पटना का होगा।

उपरोक्त अधिसूचना पूर्व मध्य रेल के बेबसाइट पर निम्न प्रकार देखा जा सकता है :–
www.ecr.indianrailways.gov.in – Hajipur HQ – Personnel – Recruitment/ Selection notification.

नोट : यदि अंग्रेजी और हिंदी में जारी अधिसूचना में किसी भी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो अंग्रेजी में जारी अधिसूचना ही मान्य होगा।

08/04/18
(गोपाल मंडल)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/आईआरएंडडब्लू
कृते अध्यक्ष, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

अध्यक्ष, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि

–सह–

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

अधिसूचना सं0 ईसीआर / एचआरडी / एसबीएफ / होमियोपैथिक कंसल्टेंट / इंगेजमेंट दिनांक 10.02.2018

फोटो

1. आवेदक का नाम–
2. पिता / पति का नाम–
3. आवेदक का जन्म तिथि–
4. 10.02.2018 को उम्र– ....वर्ष.......महीना...... दिन
5. लिंग –
6. राष्ट्रीयता –
7. धर्म / समुदाय –
8. शैक्षणिक / व्यावसायिक (चिकित्सीय) योग्यता – (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र0सं0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय	प्राप्तांक	श्रेणी	लिया गया विषय

9. Internship कार्य का अनुभव का विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन नं0 एवं तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें) –
11. स्थायी पता –
12. पत्राचार का पता –
13. अन्य सूचना, यदि हो –
14. अनुलग्नक –

मैं, ... एतद् द्वारा घोषण करता / करती हूँ कि उपरोक्त दिए गए विवरण पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दिया गया विवरण किसी भी समय गलत अथवा असत्य पाया जाता है तो मेरी उम्मीदवारी या तैनाती किसी भी बिना सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

आवेदक का हस्ताक्षर :– (हिन्दी में)

(अंग्रेजी में)

स्थान –

तिथि –

नोट :– आवेदन पत्र के कम सं0 3, 8, 9 एवं 10 से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करें। हाल ही में खींचा गया फोटोग्राफ आवेदन में चिपकायें एवं कम से कम एक भाषा में हस्ताक्षर अवश्य करें अन्यथा आवेदन रदद कर दिया जाएगा।

08/02/18